फर्द अहकाम

अज़ अदालत :– संभागीय आयुक्त, जोधपुर

अपीलाण्ट्स :– बनाम रेस्पोडेण्ट्स

रविशंकर मनोज कुमार वगैराह

किस्म मुकदमा :: अपील

प्रकरण संख्या – 508 / 2025

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15–09–2025	पत्रावली पेश हुई। श्री करण सिंह, विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट उप.। श्री गजराज सिंह, विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट्स संख्या 3,4 व 6 उपस्थित। प्रार्थी कंचन जोशी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री प्रशांत शर्मा उपस्थित। पत्रावली में प्रार्थना–पत्र आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151. सी.पी.सी. दिनांक 21.08.2025 तथा प्रार्थना–पत्र बाबत् अपील विड्रो दिनांक 03.09.2025 पर दिनांक 03.09.2025 को बहस सुनी गई थी। पत्रावली आज उक्त दोनो प्रार्थना–पत्रो पर आदेश हेतु रखी गई है। चूंकि अपीलाण्ट द्वारा प्रश्नगत अपील को विड्रो किये जाने संबंधी प्रार्थना–पत्र दिनांक 03.09.2025 को पेश किया जा चुका है अतः ऐसे में इस विचाराधीन अपील में प्रार्थिया कंचन जोशी की ओर से पेश किये गये प्रार्थना–पत्र आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. दिनांक 21.08.2025 पर पृथक से आदेश पारित किया जाना न्याय संगत प्रतीत नही होता है। इस अपील को विड्रो किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दिनांक 03.09.2025 पर अपीलाण्ट रविशंकर के हस्ताक्षर है, जिनकी पहचान उनके द्वारा नियुक्त विद्वान अधिवक्ता श्री करण सिंह द्वारा की गई। अतः ऐसी स्थिति में विचाराधीन अपील के गुणावगुण पर टिप्पणी किये बिना अपीलाण्ट का प्रार्थना–पत्र दिनांक 03.09.2025 बाबत् अपील विड्रो का स्वीकार किया जाकर अपील जरिये विड्रो खारिज की जाती हैं। पत्रावली दर्ज फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे। संभागीय आयुक्त, जोधपुर	

न्यायालय सम्भागीय आयुक्त जोधपुर